।। निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ।।

सेक्टर–4, विद्याद्यर नगर, जयपुर–302029

फोन :– 0141–2613755, ,फैक्स : 0141–2603407 ई–मेल : trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

website: http://home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांकः DHG/TRG-2/Enroll-2(1)/2022-00073 दिनांक :

स्थाई आदेश संख्या 02/2022 (संशोधित)

गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त जारी नामांकन नीति, स्थाई आदेश संख्या 02/2022 क्रमांकः गृरमु/प्रशि/टी–1( )/30912–57 दिनांक 04.11.2022 में राज्य सरकार से निम्नानुसार सहमति प्राप्त हुई हैः–

1. राज्य सरकार की अधिसूचना प.4(10)गृह–7/2004पार्ट दिनांक 01.08.2023 द्वारा राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के नियम 8 में संशोधन कर गृह रक्षा स्वयंसेवकों की सदस्यता अवधि 5 वर्ष को 15 वर्ष किये जाने के क्रम में जारी स्वीकृति क्रमांकः प.4(11)गृह–7/ 2024–19073 दिनांक 19.11.2024 द्वारा स्वयंसेवकों की नामांकन नीति में तद्नुसार संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राज्य सरकार के पत्रांक प.4(11)गृह–7/2024–19073 दिनांक 26.06.2024 द्वारा नामांकन नीति के स्थाई आदेश संख्या 02/2022 के **बिन्दु संख्या 08– नामांकन हेतु चयन समिति (बोर्ड) का गठन एवं बिन्दु संख्या 09– नामांकन हेतु चयन प्रकिया** से मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण को हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. राज्य सरकार के पत्रांक प.4(11)गृह–7/2024–19073 दिनांक 17.06.2025 द्वारा नामांकन नीति के स्थाई आदेश संख्या 02/2022 के **बिन्दु संख्या 09– नामांकन हेतु चयन प्रकिया** के उप बिन्दु **(A) पंजिकरण एवं प्रमाण पत्र** तथा उप बिन्दु **(G) चयन सूची** में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त सहमति आदेशों के अनुसार गृह रक्षा स्वयंसेवकों की रिक्तियों पर नामांकन के लिए जारी इस निदेशालय के स्थाई आदेश संख्या 02/2022 क्रमांक गृरमु/प्रशि/टी–1( ) 30912–57 दिनांक 04.11.2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

क्र. सं.	नामांकन नीति के स्थाई आदेश संख्या 02/2022 में विद्यमान (अंकित) प्रावधान	नामांकन नीति के स्थाई आदेश संख्या 02/2022 में संशोधित प्रावधान
1	**आदेश की प्रस्तावना में अंकित**	**आदेश की प्रस्तावना में संशोधित अंकन**
	''नामांकित स्वयंसेवकों को राजस्थान गृह रक्षा नियमावली–1962 के नियम–8 के तहत 05 वर्ष के लिए ही रोल पर रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली–1962 के नियम–8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 05 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवम् 05 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।''	''नामांकित स्वयंसेवकों को राजस्थान गृह रक्षा नियमावली–1962 के नियम–8 के तहत 15 वर्ष के लिए ही रोल पर रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली 1962 के नियम–8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 15 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 15 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।''

RajKaj Ref No.: 16702034

eSign 1.0

Signature Not Verified

Digitally signed by Malini Agarwal
Designation : Director General Of Police
Date: 2025.07.29 14:30:46 IST
Reason: Approved

2	**बिन्दु संख्या 08– नामांकन हेतु चयन बोर्ड**	**बिन्दु संख्या 08– नामांकन हेतु चयन बोर्ड**
	राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांकः प. 4 (10) गृह–7/2004 दिनांकः 23.01.2020 द्वारा राजस्थान होम गार्डस नियम–1962 के नियम–5 के अन्तर्गत सीमा/शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु निम्न रैंक के पदाधिकारियों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जाता हैः– 1. उप महासमादेष्टा/समादेष्टा गृह रक्षा विभाग – अध्यक्ष 2. महानिदेशक, गृह रक्षा विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य (जो उप समादेष्टा, से नीचे के स्तर का न हो) 3. सम्बन्धित इकाई का समादेष्टा/उप समादेष्टा गृह रक्षा – सदस्य सचिव	राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प. 4 (11) गृह–7/2024–19073 दिनांकः 26.06.2024 के अनुसार राजस्थान होम गार्डस नियम–1962 के नियम–5 के अन्तर्गत सीमा/शहरी/ ग्रामीण गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया हैः– **क. <u>बोर्डर होमगार्ड हेतु</u>**ः– 1. उप महासमादेष्टा गृह रक्षा विभाग– अध्यक्ष (महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा मनोनित) 2. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य (जो उप समादेष्टा से नीचे के स्तर का न हो) 3. संबंधित इकाई का समादेष्टा/गण समादेष्टा, गृह रक्षा विभाग– सदस्य सचिव **ख. <u>शहरी होमगार्ड हेतु</u>**ः– 1. उप महासमादेष्टा/समादेष्टा गृह रक्षा विभाग – अध्यक्ष (महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा मनोनित) 2. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य (जो उप समादेष्टा से नीचे के स्तर का न हो) 3. संबंधित इकाई का समादेष्टा/उप समादेष्टा, गृह रक्षा विभाग– सदस्य सचिव
3	**<u>बिन्दु संख्या 9 नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया</u>**	**<u>बिन्दु संख्या 9 नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया</u>**
	<u>उप बिन्दु (A) पंजिकरण एवं प्रमाण पत्र</u>ः– नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित दस्तावेज (जो भी लागू हो) एवं उसी स्व–प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगेः– (i) विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र। (ii) जाति प्रमाण–पत्रः– अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./ई. डब्ल्यू.एस. से संबंधित प्रमाण–पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। (iii) सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, यदि लागू हो तो।	**<u>उप बिन्दु (A) पंजिकरण एवं प्रमाण पत्र</u>**ः– नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित दस्तावेज (जो भी लागू हो) एवं उनकी स्व–प्रमाणित (Self Attested) एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगे ः– (i) विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र। (ii) जाति प्रमाण पत्रः– अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./ई. डब्ल्यू.एस. से संबंधित प्रमाण–पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। (iii) जनजाति क्षेत्र (टी.एस.पी.) एवं सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, यदि लागू हो तो। (iv) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र।

Signature Not Verified

Digitally signed by Malini Agarwal
Designation : Director General Of Police
Date: 2025.07.29 14:30:46 IST
Reason: Approved

<table>
<tr>
<td></td>
<td>पंजिकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का सत्यापन/मिलान किया जावेगा।</td>
<td>(v) संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण–पत्र।
(vi) आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
(vii) महिलाः– विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
(viii) भूतपूर्व सैनिक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृति प्रमाण–पत्र।
(ix) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण–पत्र।
(x) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन–पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5 X 3.5 सेमी) रंगीन फोटो।

पंजिकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का सत्यापन/मिलान किया जावेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>उप बिन्दु (E) चतुर्थ चरणः</u>–
मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण– अधिकतम अंक–05</td>
<td>विलोपित किया जाता है।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>उप बिन्दु (F) नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना</u> :– परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

<table>
<tr><th>परीक्षा का चरण</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>25</td></tr>
<tr><td>विशेष योग्यता</td><td>20</td></tr>
<tr><td>मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण</td><td>5</td></tr>
<tr><td>अंकों का योग</td><td>50</td></tr>
</table></td>
<td><u>उप बिन्दु (F) नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणनाः</u>– परीक्षा के सभी चरणों के कुल 45 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

<table>
<tr><th>परीक्षा का चरण</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>25</td></tr>
<tr><td>विशेष योग्यता</td><td>20</td></tr>
<tr><td>अंकों का योग</td><td>45</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>(g) चयन सूचीः</u>–
नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित दौड़ एवं विशेष योग्यता में अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी।</td>
<td><u>(G) चयन सूचीः</u>–
नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को आदेश के बिन्दु संख्या 09 के उप बिन्दु <u>(F) नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना</u> में वर्णित शारीरिक दक्षता एवं विशेष योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जाएगी।</td>
</tr>
</table>

आदेश के शेष प्रावधान/नियम/शर्तें यथावत रहेंगी।

(मालिनी अग्रवाल, IPS)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा
निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Malini Agarwal
Designation : Director General Of Police
Date: 2025.07.29 14:30:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16702034

eSign 1.0

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्रांक प.4(11)गृह–7/2024–19073 दिनांक 19.11.2024, 26.06.2024 एवं 17.06.2025 के क्रम में।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. सीनियर स्टाफ आफिसर प्रथम/द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल राजस्थान।
9. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Malini Agarwal
Designation : Director General Of Police
Date: 2025.07.29 14:30:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16702034

eSign 1.0